दिनांक 31/01/2019 तक बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य हेतु सूचीबद्ध करने संबंधी विषयक

समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य के लिये छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत हुये अधिकारियों सें आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

1) बैंक से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की सेवा से दिनांक 31/01/2019 की तिथि पर अधिकारी वर्ग-2, अधिकारी वर्ग-3, अधिकारी वर्ग-4 एवं अधिकारी वर्ग-5 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हों एवं दिनांक 31/01/2019 को उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।

   अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा त्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे ।

2) अधिकारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व के 5 वर्षो में उनके विरूद्व दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्व सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जांच लंबित न हो।

3) सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4) अधिकारी को कम से कम 5 वर्षो का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये। बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट-निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5) भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न हैं वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। किन्तु उन्हें बैंक द्वारा सौंपे गए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा ।

6) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

अन्य नियम एवं शर्ते

1) भूतपूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।

2) सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है -

   अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

   ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

3) सेवानिवृत्त अधिकारी को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा । इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे ।

4) समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु प्रति शाखा अनुमत अधिकतम 02 दिन निर्धारित है। मानदेय की दर निम्नानुसार है -

S. No.	Grade	Particulars	Daily Remuneration	Daily out of pocket allowances for lodging and boarding
1	Officer Scale-II & III	Branches situated up to 50 km from the RO	Rs. 750/-	Rs. 250/-
		Branches situated beyond 50 km from the RO	Rs. 750/-	Rs. 1000/-
2	Officer Scale-IV & V	Branches situated up to 50 km from the RO	Rs. 1000/-	Rs. 250/-
		Branches situated beyond 50 km from the RO	Rs. 1000/-	Rs. 1000/-

Note : No travel allowance will be paid. However in lum sum conveyance allowance of Rs. 2000/- may be paid to the auditors on monthly basis.

5) सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य सौंपे नहीं जायेंगे।

6) सूची में शामिल हो जाने मात्र से भूतपूर्व अधिकारी काम पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

7) सेवानिवृत्त अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

8) अधिकारी को अन्य नियम एवं शर्तें के बिन्दु 4 में उल्लेखित दरों पर मानदेय के अलावा वेतन, भत्ते और अन्य मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा ।

9) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

10) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

11) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुंच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से अंकेक्षण हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

12) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रू 50000/- (रू पचास हजार मात्र) एस.टी.डी.आर के रूप में जमा करना होगा ।

13) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाईल/लैंडलाईन नंबर और ई-मेल पता के साथ दिनांक 15/02/2019 को सायं 5:30 pm तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें।

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

फोटो

महोदय,

समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य हेतु सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन

क्र	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा		
1	नाम / पिता का नाम			
2	जन्म तिथि		उम्र	
3	पी.एफ. क्रमांक			
4	वर्तमान निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता			
5	मोबाईल नं लेंड लाईन नं			
6	ई-मेल आई डी			
7	अ) शैक्षणिक योग्यता ब) JAIIB/CAIIB position			
8	बैंक से सेवानिवृति तिथि/स्थान कौन सी शाखा से			
9	सेवानिवृत्ति के समय का पद/स्केल			
10	सेवानिवृत्ति के पूर्व की तीन पदस्थी का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)		
11	ऋण/आडिट/एन.पी.ए अनुवर्तन का अनुभव (जगह कम होने पर आवेदक चाहे तो अलग से कागज में पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर सकते है)			
12	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय			
13	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे है तो उसका विवरण			
14	सेवाकाल के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका पूर्ण विवरण देवें			
15	संलग्न किये गये KYC का विवरण			
16	अन्य विवरण			

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि असत्य पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त मानी जावे ।

स्थान -

दिनांक -

आवेदक का हस्ताक्षर